रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261830
CG-DL-E-21032025-261830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2025

सं. 05/2025- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 185(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थायलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेज़िन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरीफ मदों 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 30 10, 3904 30 90, 3904 40 00, 3904 90 00 या 3904 90 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों संख्या 6/17/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 अप्रैल, 2024, जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 09/2024-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जून, 2024, जिसे सा.का.नि. 323(अ), दिनांक 13 जून, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तुओं पर दिनांक 13 जून, 2024 से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पहले के प्राथमिक निष्कर्षों, दिनांक 26 अप्रैल , 2024, की अभिपुष्टि करते हुए अधिसूचना सं. 6/17/2023-डीजीटीआर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024, जिसे दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि,-

(i) प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देशों से भारत को किया गया निर्यात इसके औने-पौने दामों पर हुआ है;

(ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को माल संबंधी क्षति हुई है;

(iii) माल संबंधी क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयात के कारण हुई है;

और जहां कि कनेका पेस्ट पॉलीमर एसडीएच बीएचडी, मलेशिया ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमों से संदर्भित किया गया है) के नियम 15 के तहत मूल्य उपक्रम को प्रस्तुत किया है, ताकि इस तरह की कीमत से नीचे विषयगत वस्तुओं को निर्यात न करें और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपक्रम में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, इस मूल्य उपक्रम को स्वीकृत किया है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब उक्त नियमों के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39042200, 39043010,	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है#	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड	595	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

	39043090, 39049000, 39044000 या 39049090 ##							
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	248	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	ऊपर उल्लिखित क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई भी उत्पादक	707	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई भी अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	707	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	-तदैव-	-तदैव-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	ऊपर उल्लिखित क्र. सं. 5 के अलावा कोई भी उत्पादक	89	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई भी अन्य देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	89	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	516	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई भी अन्य देश	मलेशिया	कोई भी उत्पादक	516	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	-तदैव-	-तदैव-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	247	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	-तदैव-	-तदैव-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र. सं. 10 के अलावा कोई भी उत्पादक	373	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	373	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

13.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	टीपीसी पेस्ट रेजिन कंपनी लिमिटेड	343	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
14.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित क्र. सं. 13 के अलावा कोई भी उत्पादक	421	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
15.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	थाईलैंड	कोई भी उत्पादक	421	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
16.	-तदैव-	-तदैव-	नॉर्वे	नॉर्वे सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	495	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
17.	-तदैव-	-तदैव-	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	नॉर्वे	कोई भी उत्पादक	495	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

 # निम्नलिखित उत्पादों को जाँचाधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

क) 60K से कम के K-वैल्यू वाले जाँचाधीन उत्पाद
ख) पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन
ग) पीवीसी पेस्ट रेज़िन के को-पॉलिमर
घ) बैटरी सेपरेटर रेज़िन
ङ) बायोविन टी एम, जिसे नवीकरणीय/जैव फ़ीडस्टॉक से निर्मित किया गया हो और टिकाऊपन के स्वीकार्य प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया गया हो।

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँचाधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

बशर्ते कि, कनेका पेस्ट पॉलीमर एसडीएच बीएचडी, मलेशिया द्वारा उत्पादित या वहां से निर्यात और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं पर कोई एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इसके लगाए जाने की तारीख अर्थात् 13 जून, 2024 से पांच वर्ष की अवधि तक, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने वाली तारीख अर्थात् 12 दिसम्बर, 2024 से लेकर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व दिवस तक लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

स्पष्टीकरण 2 – इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयात का अवतरण मूल्य वह आकलनीय मूल्य होगा जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमाशुल्क के द्वारा निर्धारित किया गया हो और इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अतंर्गत आने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

दिलमिल सिंह् सोच, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2025

NO. 05/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 185(E).—Whereas, in the matter of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under tariff items 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 30 10, 3904 30 90, 3904 40 00, 3904 90 00 and 3904 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to as the 'subject countries') and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/17/2023-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated 26th April, 2024, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating and exported from the subject countries;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods with effect from 13th June, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 09/2024-Customs (ADD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S. R. 323(E), dated 13th June, 2024;

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/17/2023-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated 24th December, 2024, while confirming the preliminary findings, dated 26th April, 2024, has come to the conclusion that-

(i) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury;

(iii) the injury has been caused to the domestic industry by the dumped imports of subject goods originating in, or exported from, the subject countries;

And, whereas, Kaneka Paste Polymer SDH BHD, Malaysia, have furnished the price undertaking under rule 15 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said Rules), so as not to export subject goods below such price and the designated authority has accepted the price undertaking for the subject goods as per the terms and conditions set out in the said undertaking;

And, whereas, the designated authority has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the said Rules, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the Tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the

corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the following Table, namely:-

TABLE

S. No.	**Tariff item**	**Description of goods**	**Country of origin**	**Country of exports**	**Producer**	**Duty amount**	**Unit**	**Currency**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39042200, 39043010, 39043090, 39049000, 39044000 or 39049090##	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin#	China PR	Any country including China PR	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.	595	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shenyang Chemical Co., Ltd.	248	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S. No. 1 and 2 mentioned above	707	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	China PR	Any producer	707	MT	USD
5	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	NIL	MT	USD
6	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than S. No. 5 mentioned above	89	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China PR,	Korea RP	Any producer	89	MT	USD

			Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway					
8	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer	516	MT	USD
9	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Malaysia	Any producer	516	MT	USD
10	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Formosa Plastics Corporation	247	MT	USD
11	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer other than S. No. 10 mentioned above	373	MT	USD
12	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Taiwan	Any producer	373	MT	USD
13	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	TPC Paste Resin Co., Ltd.	343	MT	USD
14	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than S. No. 13 mentioned above	421	MT	USD
15	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan,	Thailand	Any producer	421	MT	USD

			Thailand and Norway					
16	-do-	-do-	Norway	Any country including Norway	Any producer	495	MT	USD
17	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Norway	Any producer	495	MT	USD

 # The following products are excluded from the scope of the product under consideration (PUC):

a) PUC with a K-value below 60K

b) PVC Blending Resin

c) Co-polymers of PVC Paste Resin

d) Battery separator resins

e) Biovyn^{TM} produced from renewable/bio feedstock and accompanied by an acceptable proof of sustainability.

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

Provided that no anti-dumping duty shall be imposed on the subject goods produced and exported by Kaneka Paste Polymer SDH BHD, Malaysia, when imported into India.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 13th June, 2024, unless revoked, amended or superseded earlier, and shall be payable in Indian currency:

Provided that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the date of the lapse of the provisional anti-dumping duty, that is, the 12th December, 2024, up to the preceding day of the publication of this notification in the Official Gazette.

Explanation 1.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the Customs Act), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

Explanation 2.- The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act.

[F. No. CBIC-190354/63/2024-TRU Section-CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.03.21 22:11:21 +05'30'